## प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –176 / 2023

अनवान : –

1. सावत्री देवी पत्नी जगदीश जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर ।

**– वादी**

**बनाम्**

1. पूजा पत्नी लालचन्द जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. सरबती पुत्री जगदीश जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. गायत्री पुत्री जगदीश जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. अन्जू पुत्री जगदीश जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. कोमल नाबालिग पुत्री लालचन्द जरिये कुदरती बली माता पूजा पत्नी लालचन्द जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
6. अमन नाबालिग पुत्र लालचन्द जरिये कुदरती बली माता पूजा पत्नी लालचन्द जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

**– प्रतिवादीगण**

**राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89**

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **वादी**

**निर्णय** **दिनांक: 09.05.2023**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा ढण्ढेला बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 34 / 26 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 15.5170 है0 भूमि में से 1 / 4 हिस्सा वादीया के पति मृतक जगदीश पुत्र बीरबल के नाम दर्ज राजस्व रिकाड है।

वादीया के पति जगदीश पुत्र बीरबल का स्वर्गवास हो चुका है जिसके जायज वारिस सावत्री (पत्नी), लालचन्द (पुत्र), सरबती (पुत्री), गायत्री (पुत्री), अन्जू (पुत्री) हुए जिनमें से वादीया का पुत्र लालचन्द पुत्र जगदीश का भी स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 5 ता 6 है जिनका उपरोक्त भूमि में जन्म जात हक हिस्सा है।

प्रतिवादीया संख्या 2 ता 4 जो कि वादीया की पुत्रिया है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक [illegible] वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपनी माता व मृतक भाई के [illegible] कर चुकी है बाद हक त्याग उपरोक्त भूमि में से 18 / 20 हिस्सा भूमि पर वादीया [illegible] प्रतिवादीया स0 1 [illegible] काबिज है व शेष 2 / 20 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी स0 5 व 6 बहिब काबिज है। वादीया जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने की अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:13:02 IST
Reason: SelfAttested

वादीया ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा की वादी के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादी का वाद डिक्री फरमावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी स0 1 ता 6 ने उपस्थिति आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादीया डिक्री फरमाया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी सम्वत 2073–76 रोही मौजा ढंढेला के खाता स0 34/26 प्रदर्श–1, सदस्य प्रमाण प्रदर्श 2 व 3, मृत्यु प्रमाण पत्र लालचंद प्रदर्श–4, मृत्यु प्रमाण जगदीश प्रदर्श–5 आदि प्रदर्शित करवायें।

प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 का इकबाल/आपसी सहमति मजमें आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादीगण स0 1 ता 6 ने वादीया के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादीया के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादीया का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के रोही मौजा ढण्ढेला बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 34/26 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 15.5170 है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा वादीया के पति मृतक जगदीश पुत्र बीरबल के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वाद भूमि पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। प्रतिवादीगण स0 1 ता 6 द्वारा जवाब इकबाल दावा पेश किया गया है कि वाद वादीया डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। अतः वादीया के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 8 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादीया के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

## क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीया प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादीया द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढण्ढेला बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 34/26 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 15.5170 है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि में मृतक जगदीश पुत्र बीरबल का नाम कलमजन किया जाकर 18/20 हिस्सा भूमि का वादीया व प्रतिवादी स0 1 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा शेष 2/20 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 5 व 6 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रूपये का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:13:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 9.5.23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–थालड़का

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:13:02 IST
Reason: SelfAttested

**प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023**

**पर्चा डिक्री**

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ**

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –282/2023

अनवान : –

1. सावत्री देवी पत्नी जगदीश जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर ।

**– वादी**

**बनाम्**

1. पूजा पत्नी लालचन्द जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. सरबती पुत्री जगदीश जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. गायत्री पुत्री जगदीश जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. अन्जू पुत्री जगदीश जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. कोमल नाबालिग पुत्री लालचन्द जरिये कुदरती बली माता पूजा पत्नी लालचन्द जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
6. अमन नाबालिग पुत्र लालचन्द जरिये कुदरती बली माता पूजा पत्नी लालचन्द जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

**– प्रतिवादीगण**

**वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**राजस्व वाद संख्या 282 सन 2023 निर्णय दिनांक 09.05.2023**

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान – 2023 कैम्प में मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढण्ढेला बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 34/26 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 15.5170 है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि में मृतक जगदीश पुत्र बीरबल का नाम कलमजन किया जाकर 18/20 हिस्सा भूमि का वादीया व प्रतिवादी स0 1 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा शेष 2/20 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 5 व 6 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 9.1.5.1.2.3 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:13:02 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–थालड़का